संख्या-28/805/38-6-16-07(एसआरएलएम)/2014

प्रेषक,

हीरा लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ, दिनांक-30 नवम्बर, 2016**

विषयः- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आजीविका स्किल्स की 03 विशेष परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्रांक-2661/147/आजीविका/लेखा/।2016-17, दि0-21.10.2016, पत्रांक-2197/142/आजीविका/डीडीयू-जीकेवाई/2016-17, दि0-16.09.2016 तथा पत्रांक-2415/आजीविका/लेखा/2016-17, दि0-30.09.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत 03 संस्थाओं (सी0एल0 एजूटेक, ओरियम एजूटेक एवं आई0सी0ए0 इन्फोटेक प्रा0लि0) की वर्ष 2013-14 में स्वीकृत विशेष परियोजना प्रस्तावों हेतु बी0पी0एल0 परिवार के युवकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति मद अनुदान संख्या-83 हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त रू0-5,36,77,300.00 अवमुक्त की गई है, जिसमें केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि दि0-01.04.2016 से निर्धारित की गई है। केन्द्रांश की धनराशि चार किश्तों में 25:50:15:10 के अनुपात में स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2- भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष-2013-14 में अनुदान संख्या-83(अनुसूचित जाति मद) हेतु केन्द्रांश 75 तथा राज्यांश 25 के अनुपात में अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की 25 प्रतिशत शार्टफाल की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश दि0-12.03.2015 द्वारा स्वीकृत की गई।

3- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में परियोजनाओं हेतु दि0-01.04.2016 से

http://shasanadesh.up.nic.in

फण्डिंग पैटर्न 75:25 के स्थान पर 60:40 परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न विवरण के अनुसार अनुसूचित जाति मद अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत 03 संस्थाओं (सी0एल0 एजूटेक रू0-1,69,47,400.00, ओरियन एजूटेक रू0-1,64,82,200.00 एवं आई0सी0ए0 इन्फोटेक प्रा0लि0 रू0-2,02,47,700.00) हेतु कुल केन्दांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-5,36,77,300.00 अवमुक्त की गई है। परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-4,42,13,135.00 अनुसूचित जाति मद अनुदान संख्या-83 में बनता है। इस संबंध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के क्रम में शासनादेश दि0-28.10.2016 द्वारा संचालित 27 विशेष परियोजनाओं को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित किए जाने तथा इन परियोजनओं हेतु स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को उनके बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अत: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूजित जाति मद अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार/एनआरएलएम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति मद अनुदान संख्या-83 में हुई बजट व्यवस्था से मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-4,42,13,135.00(रूपये चार करोड बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पैंतीस मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-4,42,13,135.00(रूपये चार करोड बयालीस लाख तेरह हजार एक सौ पैंतीस मात्र) का आहरण करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अविलम्ब प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष 03 संस्थाओं (सी0एल0 एजूटेक, ओरियन एजूटेक एवं आई0सी0ए0 इन्फोटेक प्रा0लि0) हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन(यूपीएसडीएम) को सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का आहरण राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को कार्यदायी संस्था एवं सी.ई.ओ. नाबकान्स तथा यूपीएसडीएम द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार से योजना में यथासमय तृतीय किश्त प्राप्त हो सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2017 को समर्पित कर दी जाएगी।

(4)यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है। यदि कोई कमी परिलक्षित हो तो तत्काल शासन के संज्ञान में लाकर ठीक कराने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाए। ताकि किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

(5)धनराशि की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम का होगा।

(6)आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दि0-22.03.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान सं0-83(अनुसूचित जाति मद) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दि0-22.03.2016 तथा समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन के शासनादेश दि0-27.03.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हीरा लाल)
विशेष सचिव।

संख्या-805(1)/38-6-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, 9वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी (द्वारा यूपीएसआरएलएम)
6- मिशन निदेश, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मिशन निदेशक, उ0प्र0कौशल विकास मिशन(यूपीएसडीएम) आईटीआई परिसर, अलीगंज, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
11- राज्य योजना आयोग-1/2
12- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in